

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 929/2021

पवन गौड़ पुत्र श्री ललित किशोर, उम्र 29 वर्ष, निवासी 20, तिरूपति बालाजी नगर, पुंजला, थाना- मंडोर, जोधपुर (राजस्थान)। वर्तमान में 67, लक्ष्मी नगर, जयपुर (राजस्थान) में निवासरत

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. लोक अभियोजक के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. थानाप्रभारी, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर आयुक्तालय।
3. श्रीमती किरण गोदारा, उपनिरीक्षक, महिला थाना, जोधपुर (पश्चिम)।
4. श्री भूण्डाराम, हैड कांस्टेबल, महिला थाना, जोधपुर (पश्चिम)।
5. श्री भंवर लाल, हैड कांस्टेबल, महिला थाना, जोधपुर (पश्चिम)।
6. महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र, महिला थाना, जोधपुर (पश्चिम)।
7. श्रीमती मुक्ता पारीक, निरीक्षक, वर्तमान में महिला थाना, जोधपुर (पश्चिम) में पदस्थ
8. श्री राजूराम 722, कांस्टेबल, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जोधपुर (पश्चिम) में पदस्थापित
9. श्रीमान सुनील 1980, कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन कुड़ी भगतासनी, जोधपुर (पश्चिम) में पदस्थापित

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री पवन गौड़ स्वयं
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री सुरेंद्र बिश्नोई, सहायक राजकीय अधिवक्ता

माननीय श्रीमान न्यायाधीश फरजंद अली

आदेश

प्रकाशन-योग्य**07/03/2025**

1. याचिकाकर्ता ने एसीपी-सह कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 13.06.2020 के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, साथ ही आपराधिक अपील संख्या 203/2020 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर द्वारा पारित दिनांक 03.12.2020 के आदेश को भी चुनौती दी है।
 2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, कानून का एक छात्र, दिनेश कुमार नामक व्यक्ति का रिश्तेदार है, जिसका अपनी पत्नी श्रीमती मीनाक्षी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के कारण श्रीमती मीनाक्षी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए, दोनों पक्षों को 12.06.2020 को महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के समक्ष परामर्श के लिए बुलाया गया।
 3. परामर्श सत्र के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपने रिश्तेदार के साथ रहते हुए कथित तौर पर अपनी आवाज उठाई। केवल इसी कारण से, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत हिरासत में लिया। इसके बाद उसे 13.06.2020 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत पूरी तरह से अनुचित, मनमानी और कानूनी सिद्धांतों की घोर अवहेलना थी।
 4. याचिकाकर्ता का तर्क है कि पुलिस द्वारा उसकी अवैध हिरासत और गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर महिला परामर्श केंद्र की एक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बदले की भावना से झूठा फंसाया गया और हिरासत में लिया गया। घटनाओं का पूरा क्रम पुलिस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसकी गिरफ्तारी उचित
-

कारण के बिना की गई थी, जैसा कि **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994 एआईआर 1349)** में महत्व दिया गया था, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उचित जांच और आवश्यकता के बिना नियमित तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता आगे **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 एआईआर 604)** का हवाला देता है, जो उन उदाहरणों को रेखांकित करता है जहां आपराधिक कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए। वह **किशोर बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक रिट याचिका संख्या 183/2014, बॉम्बे उच्च न्यायालय)**, **पंकज कुमार शर्मा बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार (डब्ल्यू.पी. (सी) 3851/2023, दिल्ली उच्च न्यायालय)**, **शिव कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक विविध डब्ल्यू.पी. संख्या 16386/2020, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)**, और **आनंद महादेवन बनाम केरल राज्य (आपराधिक विविध डब्ल्यू.पी. संख्या 1940/2023, केरल उच्च न्यायालय)** उद्धृत करता है, ये सभी मामले निष्पक्ष जाँच, पुलिस शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के महत्व पर ज़ोर देते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत कार्यवाही को रद्द करने, उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और उसके अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा देने की प्रार्थना करता है।

5. मैंने याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, और साथ ही राज्य के विद्वान लोक अभियोजक को सुना है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जाँच की है।

6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 13.06.2020 का आदेश एक अर्द्ध-मुद्रित, अर्द्ध-लिखित प्रपत्र है, जो पहली नज़र में ही विवेक का प्रयोग न करने का संकेत देता है। सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत मूलभूत आवश्यकता एक उचित आशंका का अस्तित्व है कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता कोई संज्ञेय अपराध करने वाला था।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएँ 107 और 151, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए निवारक प्रावधान हैं। धारा 107 सीआरपीसी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शांति भंग की संभावना होने पर निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जबकि धारा 151 सीआरपीसी, पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, जब किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। हालाँकि, इन प्रावधानों का मनमाने ढंग से या उत्पीड़न के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसे कानूनी ढाँचे के अंतर्गत आते हैं जो संवैधानिक सुरक्षा उपायों और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सख्त अनुपालन की माँग करता है।

8. **इस्तकार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2034/2022 [विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक अपील) संख्या 8586/2022 से उत्पन्न]** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता का दायरा और प्रकृति निवारक है, दंडात्मक नहीं। इसका उद्देश्य पूर्व आचरण को दंडित करने के बजाय लोक शांति के लिए संभावित खतरों को टालना है। तत्काल संदर्भ के लिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है –

“ 11. जैसा कि देखा गया है, धारा 107 सीआरपीसी का दायरा और प्रकृति निवारक है न कि दंडात्मक। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति भंग न हो और किसी भी गलत या अवैध कार्य से सार्वजनिक शांति भंग न हो। प्रकृति में निवारक कार्यवाही किसी भी प्रत्यक्ष कार्य पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता के हितों की सेवा के लिए संभावित खतरे को रोकना है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान व्यवस्थित समाज की सहायता के लिए है और शांति और सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले किसी भी आचरण को रोकने का प्रयास करता है। प्रावधान मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत करता है यदि जानकारी मिलने पर वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है या कोई भी गलत कार्य करने की संभावना है जो संभवतः समान परिणाम उत्पन्न कर सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो, संहिता के अध्याय VIII के प्रावधान केवल प्रकृति में निवारक हैं और उन्हें दंड के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।”

9. इन प्रावधानों के पीछे मूलभूत सिद्धांत एक उचित आशंका का अस्तित्व है कि किसी व्यक्ति के आचरण से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। किसी भी ठोस सामग्री के बिना इन धाराओं का यांत्रिक या नियमित आह्वान, जो किसी आसन्न खतरे को प्रदर्शित करता हो, उनके मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। कानून पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आकस्मिक या विवेकाधीन तरीके से निवारक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सीआरपीसी के तहत निवारक शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए स्पष्ट, तत्काल और पर्याप्त जोखिम न हो। वर्तमान मामले में ऐसी किसी भी सामग्री का अभाव शक्ति के अत्यधिक और मनमाने उपयोग का संकेत देता है।

10. वर्तमान मामले में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मामले के प्रति दृष्टिकोण बेहद चिंताजनक है। 13.06.2020 का आदेश, केवल अर्द्ध-मुद्रित, अर्द्ध-लिखित प्रपत्र होने के कारण, विवेक के गैर-प्रयोग का स्पष्ट प्रदर्शन है। ऐसा आदेश, किसी भी तर्कसंगत चर्चा या स्वतंत्र विश्लेषण से रहित, कानून के शासन को बनाए रखने में एक संस्थागत विफलता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने

निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के बजाय पुलिस के लिए एक रबर स्टैंप की तरह काम किया। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा पुलिस की कार्रवाइयों का केवल लिपिकीय समर्थन करने की नहीं, बल्कि स्वतंत्र न्यायिक तर्क के प्रयोग से यह आकलन करने की है कि कानून के तहत निवारक कार्रवाई उचित है या नहीं।

11. इसके अलावा, हिरासत की आवश्यकता की जांच किए बिना पुलिस के अनुरोध को यंत्रवत् स्वीकृत करने में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का लापरवाह और संवेदनहीन दृष्टिकोण संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। ऐसा रवैया न केवल व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को भी कम करता है। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, धारा 107 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति भंग की संभावना के बारे में व्यक्तिपरक संतुष्टि ठोस सामग्री पर आधारित हो, न कि अस्पष्ट आशंकाओं पर। इसी प्रकार, धारा 151 सीआरपीसी के तहत, गिरफ्तारी नियमित रूप से नहीं की जा सकती; इसे बाध्यकारी कारणों से उचित ठहराया जाना चाहिए, जो निवारक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता हो।

12. वर्तमान मामला पुलिस और कार्यकारी शाखा द्वारा निवारक प्रावधानों के दुरुपयोग की एक व्यापक प्रवृत्ति का उदाहरण है, जहाँ व्यक्तियों को उचित औचित्य के बिना, अक्सर मनमाने और अत्याचारी तरीके से हिरासत में लिया जाता है। सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग पर अगर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है जहाँ निवारक निरोध व्यवस्था बनाए रखने के वैध साधन के बजाय उत्पीड़न का एक साधन बन जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों सहित न्यायिक प्राधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वे

कार्यपालिका के अतिक्रमण में सहायक बनने के बजाय संवैधानिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करें।

13. इसी संदर्भ में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के अभाव और याचिकाकर्ता की हिरासत को यांत्रिक स्वीकृति देने को कर्तव्य की घोर उपेक्षा माना जाना चाहिए। कानून निवारक उपायों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करने का आदेश देता है, और इस संतुलन को बनाए रखने में किसी भी प्रकार की विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। वर्तमान मामला पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दोनों द्वारा निवारक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अधिक जवाबदेही और सतर्कता की आवश्यकता का प्रमाण है।

14. पुलिस को, धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी करने से पहले, हिरासत को उचित ठहराने वाले आसन्न खतरे या बाध्यकारी परिस्थितियों का प्रदर्शन करना होगा। वर्तमान मामले में, न तो कोई तत्काल खतरा था और न ही याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई वैध कारण था। गिरफ्तारी मनमानी शक्ति का प्रयोग थी, जो निवारक हिरासत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर उचित विचार किए बिना की गई थी।

15. कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से पहले याचिकाकर्ता को 24 घंटे तक हिरासत में रखना गैरकानूनी कारावास के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है। कानून यह अनिवार्य करता है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा न करना याचिकाकर्ता की हिरासत को गैरकानूनी और संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है।

16. इसके अतिरिक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में विफल रहे। यह अपेक्षा की जाती है कि एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट

को आँख मूँदकर स्वीकार किए बिना, स्वतंत्र रूप से हिरासत की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पद पुलिस शक्ति का मात्र विस्तार नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्र न्यायिक विवेक का प्रयोग आवश्यक है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो अपनी पदोन्नति से पहले एक वृत्त निरीक्षक (सीआई) थे, ने मामले को एक न्यायिक प्राधिकारी के बजाय एक पुलिस अधिकारी के दृष्टिकोण से देखा। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका के लिए निष्पक्षता, कानूनी कौशल और पुलिस-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रभावित होने के बजाय संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से मामलों का आकलन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

17. विद्वान सत्र न्यायाधीश, याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय करते समय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य की जाँच करने में विफल रहे। अपीलीय न्यायालय ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश में स्पष्ट रूप से विवेक का प्रयोग न करने की जाँच नहीं की, जो कि केवल न्यूनतम संशोधनों के साथ एक पूर्व-मुद्रित प्रपत्र पर जारी किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मूल कानूनी मुद्दे पर विचार किए बिना ही अपील को खारिज कर दिया, जिससे एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता हुई।

18. गिरफ्तारी के समय याचिकाकर्ता न तो अभियुक्त था और न ही किसी चल रही आपराधिक कार्यवाही में पक्षकार। वह केवल अपने रिश्तेदार के साथ परामर्श के लिए गया था, जिसके लिए, अपने स्वभाव से ही, धैर्य और संवाद के अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। यह स्वाभाविक है कि ऐसे सत्रों के दौरान, भावनाएँ उग्र हो सकती हैं, और पक्ष अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हालाँकि, यह गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहराता, खासकर जब यह मानने का कोई कानूनी आधार नहीं था कि याचिकाकर्ता के कार्यों से कोई संज्ञेय अपराध होगा।

19. यह ध्यान देने योग्य है कि मामले में प्राथमिकी बहुत बाद में, 15.07.2020 को, यानी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के एक महीने बाद दर्ज की गई थी। यह तथ्य कि गिरफ्तारी के समय याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई लंबित मामला नहीं था, इस तर्क को और मजबूत करता है कि उसकी हिरासत अनुचित और अवैध थी।

20. धारा 151 सीआरपीसी के तहत मनमानी गिरफ्तारियां आम हो गई हैं, और सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक गंभीर हनन है और इसे कभी भी यंत्रवत या मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्षता, तर्कसंगतता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को किसी भी कार्रवाई का मार्गदर्शन करना चाहिए जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। इस मामले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट उचित सतर्कता बरतने में विफल रहे और इस तरह से काम किया जो संविधान की भावना और कानून के स्थापित सिद्धांतों को कमजोर करता है।

21. वर्तमान मामले में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने जिस तरह से एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ व्यवहार किया है, वह बेहद चिंताजनक है। शक्ति के इस तरह के मनमाने प्रयोग के उदाहरण चिंताजनक रूप से लगातार हो रहे हैं, और इसी तरह के कई मामले इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं। यह एक प्रणालीगत मुद्दे को उजागर करता है जिस पर प्रशासन के उच्चतम स्तरों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

22. सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) द्वारा मजिस्ट्रेटी शक्तियों के दुरुपयोग के बार-बार होने वाले उदाहरणों के मद्देनजर, यह न्यायालय यह आवश्यक समझता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तुरंत इस मामले का संज्ञान लें और पुलिस आयुक्तालयों के भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में एसीपी की तैनाती को नियंत्रित करने वाली मौजूदा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करें। यह भी देखा गया है कि राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के अधिकारी जिन्हें

उप-निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है, उन्हें मजिस्ट्रेट के कार्य तब तक नहीं सौंपे जाने चाहिए जब तक कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त न्यायिक या प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का संरचित और औपचारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त न कर लिया हो। जब तक ऐसा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता और विधिवत पूरा नहीं हो जाता, तब तक ऐसे अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारियाँ नहीं सौंपी जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह अनुशंसा की जाती है कि केवल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) या राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के सीधे भर्ती किए गए अधिकारी, जिनके पास अपेक्षित कानूनी अभिविन्यास और प्रशासनिक क्षमता होने की अधिक संभावना है, को ऐसी अर्ध-न्यायिक भूमिकाओं के लिए योग्य माना जाए ताकि एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अपेक्षित सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और न्यायसंगतता की रक्षा की जा सके।

23. इसके अलावा, यह न्यायालय इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि मुख्य रूप से पुलिस-उन्मुख भूमिका से अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी की भूमिका में कार्यात्मक परिवर्तन केवल प्रशासनिक पुनर्नियोजन का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए एक गहन मनोवैज्ञानिक और संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कानून प्रवर्तन की बलपूर्वक शक्तियों के प्रयोग से लेकर निष्पक्षता, तटस्थता और कानूनी सिद्धांतों के पालन पर आधारित न्यायिक ज़िम्मेदारियों के निर्वहन तक का मानसिक और प्रक्रियात्मक बदलाव स्वाभाविक रूप से जटिल है और इसे केवल मजिस्ट्रेट पद प्रदान करने से हासिल नहीं किया जा सकता। जब सक्रिय पुलिसिंग में लगे अधिकारियों को बिना पर्याप्त प्रारंभिक प्रशिक्षण के अचानक मजिस्ट्रेट पद प्रदान कर दिया जाता है, तो प्रवर्तन से न्यायिक तक की उनकी मानसिकता को पुनः संतुलित करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। यह परिवर्तन कोई सतही या यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है—यह न तो तात्कालिक है और न ही सहज।

बल्कि, यह कुछ प्रजातियों में देखी जाने वाली जटिल और अक्सर कठिन प्राकृतिक प्रक्रिया जैसा है, जैसे त्वचा का छूटना, जो कार्य, संरचना और पहचान में एक मूलभूत परिवर्तन का प्रतीक है। जिस प्रकार इस तरह के जैविक नवीनीकरण के लिए समय, तत्परता और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक पुलिस अधिकारी से मजिस्ट्रेट बनने के लिए जानबूझकर पुनर्निर्देशन, शैक्षिक तल्लीनता और संज्ञानात्मक पुनर्संयोजन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में, अधिकारी पुलिसिंग के प्रवर्तन-केंद्रित सजगता और पदानुक्रमित आदेश मॉडल से बंधा रहता है, जो एक मजिस्ट्रेट से अपेक्षित स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वभाव के विपरीत है।

24. तदनुसार, जब तक इस तरह के परिवर्तन को संरचित निर्देश और संस्थागत मार्गदर्शन के माध्यम से सुगम नहीं बनाया जाता, तब तक उन अधिकारियों को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करना, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पुलिस ढाँचे के दायरे में काम किया है, न केवल मजिस्ट्रेट कार्यवाही की पवित्रता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कार्यकारी निर्णय लेने की निष्पक्षता और तटस्थता में जनता के विश्वास को भी कम कर सकता है।

25. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि कई मामलों में, ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेश रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं, जो अक्सर आंशिक रूप से मुद्रित और आंशिक रूप से हस्तलिखित होते हैं, जो एक यांत्रिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह न्यायालय इस तरह की प्रथा की स्पष्ट रूप से निंदा करता है और सचिवालय (गृह) और डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि भविष्य में ऐसे दोषपूर्ण और औपचारिक आदेश जारी न हों।

26. शक्ति के ऐसे मनमाने प्रयोग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, न्यायालय यह आदेश देता है कि तीन महीने के भीतर एक सुदृढ़ तंत्र विकसित किया जाए या उचित आदेश जारी किए जाएँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन

अधिकारियों को ही ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ जिनके पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल, कानूनी ज्ञान और क्षमता हो। ऐसे अधिकारियों को ये अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ सौंपने से पहले उनकी योग्यता की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए।

27. एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों का विस्तृत विवरण देना भी प्रासंगिक है। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका में महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, शांति भंग की संभावना को रोकना और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत निवारक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। हालाँकि, इन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से या नियमित पुलिसिंग के विस्तार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि कार्यकारी और न्यायिक कार्य अलग-अलग होने चाहिए, और इसलिए, किसी पुलिस अधिकारी को पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बिना नियमित रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मजिस्ट्रेटी शक्तियों के प्रयोग के लिए एक विवेकपूर्ण सोच, एक स्वतंत्र दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता आवश्यक है, ये गुण एक पेशेवर पुलिस अधिकारी के प्रशिक्षण और अभिविन्यास के साथ हमेशा संरेखित नहीं हो सकते हैं।

28. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह विविध याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 13.06.2020 के आदेश और उसके बाद दिनांक 03.12.2020 के आदेश के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द और अपास्त किया जाता है।

29. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता को अपने द्वारा सहन की गई अनुचित कारावास के विरुद्ध कानूनी सहायता लेने की स्वतंत्रता है।

30. इस आदेश की प्रतियां सूचना एवं आगे की कार्रवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को सीधे प्रेषित की जाएँ।

(फ़रजंद अली), जे

68-ममता/

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी